

राजस्थान विधान सभा
दशम् सत्र
कार्य-सूची
शुक्रवार, दिनांक 22 फरवरी, 2013
बैठक का समय-प्रातः 11.00 बजे

1. प्रश्न

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे ।

2. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि

(क) अधिसूचनायें

I- श्री शांती कुमार धारीवाल, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री, वित्त एवं उद्योग विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखेंगे:-

(1) वित्त विभाग

- 1- अधिसूचना संख्या: एफ.5(25)वित्त/कर/2012-65 दिनांक 28.9.2012 जिसके द्वारा वक्फ के पक्ष में सम्पादित कन्वेंस डीड पर मुद्रांक शुल्क की छूट प्रदान की गई है;
- 2- अधिसूचना संख्या: एफ.7(8)वित्त/कर/9-66 दिनांक 12.10.2012 जिसके द्वारा कार्यालय वाणिज्यिक कर अधिकारी, धौलपुर कार्यालय के रास्ते हेतु भूमि अधिग्रहित की गई है;
- 3- अधिसूचना संख्या: एफ.12(102)वित्त/कर/10-67 दिनांक 15.10.2012 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(102)वित्त/कर/10-87 दिनांक 2.2.2012 में संशोधन किया गया है;
- 4- अधिसूचना संख्या: एफ.12(18)वित्त/कर/2012-68 दिनांक 15.10.2012 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-II में संशोधन किया गया है;
- 5- अधिसूचना संख्या: एफ.12(18)वित्त/कर/2012-69 दिनांक 15.10.2012 जिसके द्वारा मैसर्स राजस्थान स्टेट बेवरीज कॉरपोरेशन लिमिटेड, जयपुर को राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा-8(3) के अन्तर्गत कर में सशर्त छूट प्रदान की गई है;
- 6- अधिसूचना संख्या: एफ.12(91)वित्त/कर/2011-71 दिनांक 17.10.2012 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(91)वित्त/कर/2011-49 दिनांक 20.9.2011 को अधिक्रमित किया गया है;
- 7- अधिसूचना संख्या: एफ.2(60)वित्त/कर/12-72 दिनांक 18.10.2012 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत स्थानीय निकाय द्वारा कृषि भूमि के नियमितीकरण दस्तावेज की लीज डीड पर स्टाम्प ड्यूटी की छूट प्रदान की गई है;
- 8- अधिसूचना संख्या: एफ.2(60)वित्त/कर/12-73 दिनांक 18.10.2012 जिसके द्वारा पुनर्वेध एवं पुर्नजारी लीज डीड पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है;

जारी..2..

- 9- अधिसूचना संख्या: एफ.2(60)वित्त/कर/12-74 दिनांक 18.10.2012 जिसके द्वारा स्थानीय निकायों द्वारा जारी लीज डीड पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है;
- 10- अधिसूचना संख्या: एफ.2(70)वित्त/कर/12-75 दिनांक 18.10.2012 जिसके द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान, 2012 के दौरान प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ पत्रों पर देय स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है;
- 11- अधिसूचना संख्या: एफ.12(65)वित्त/कर/12-76 दिनांक 1.11.2012 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-II में संशोधन किया गया है;
- 12 अधिसूचना संख्या: एफ.12(65)वित्त/कर/2012-77 दिनांक 1.11.2012 जिसके द्वारा भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, जयपुर को सशर्त कर से छूट प्रदान की गई है;
- 13- अधिसूचना संख्या: एफ.2(23)वित्त/कर/11-78 दिनांक 21.11.2012 जिसके द्वारा राजस्थान रजिस्ट्रेशन (लाईसेंसिंग ऑफ डॉक्यूमेन्ट राईटर्स) रूल्स, 1956 में संशोधन किया गया है;
- 14- अधिसूचना संख्या: एफ.2(75)वित्त/कर/12-79 दिनांक 21.11.2012 जिसके द्वारा राजस्थान स्टेट पावर फाईनेंस कॉरपोरेशन के आर्टिकल ऑफ एसोसियेशन के दस्तावेज पर प्रभार्य स्टाम्प ड्यूटी की छूट प्रदान की गई है;
- 15- अधिसूचना संख्या: एफ.2(15)वित्त/कर/2010-80 दिनांक 21.11.2012 जिसके द्वारा राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड द्वारा जारी अपरिवर्तनीय बॉण्ड्स पर देय स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है;
- 16- अधिसूचना संख्या: एफ.12(49)वित्त/कर/2011-81 दिनांक 23.11.2012 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-II में संशोधन किया गया है ;
- 17- अधिसूचना संख्या: एफ.12(49)वित्त/कर/2011-82 दिनांक 23.11.2012 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(49)वित्त/कर/2011-66 दिनांक 4.11.2011 को विखण्डित किया गया है;
- 18- अधिसूचना संख्या: एफ.11(1)वित्त/कर/2004-85 दिनांक 23.11.2012 जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत (शुल्क) नियम, 1970 में संशोधन किया गया है ;
- 19- अधिसूचना संख्या: एफ.5(13)वित्त/कर/2012-86 दिनांक 10.12.2012 जिसके द्वारा मुस्लिम समाज सुधार एवं विकास संस्था धवा, तहसील-लूणी, जिला जोधपुर के पक्ष में सम्पादित गिफ्ट डीड पर देय स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है;

- 20- अधिसूचना संख्या: एफ.12(30)वित्त/कर/11-87 दिनांक 12.12.2012 जिसके द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली मेट्रो रेल निगम लि0 को अवार्डेड अजमेर रोड़ पर ओवर ब्रिज से क्वीन्स रोड़ क्रोसिंग से आगे तक एलीवेटेड रोड़ की कार्य संविदा पर राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 के तहत उदग्रहणीय कर के भुगतान से छूट प्रदान की गई है;
- 21- अधिसूचना संख्या: एफ.12(30)वित्त/कर/11-88 दिनांक 12.12.2012 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(63)वित्त/कर/2005-81 दिनांक 11.8.2006 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;
- 22- अधिसूचना संख्या: एफ.12(30)वित्त/कर/11-89 दिनांक 12.12.2012 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(100)वित्त/कर/10-78 दिनांक 6.10.2010 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;
- 23- अधिसूचना संख्या: एफ.12(30)वित्त/कर/11-90 दिनांक 12.12.2012 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(100)वित्त/कर/10-79 दिनांक 6.10.2010 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;
- 24- अधिसूचना संख्या: एफ.12(30)वित्त/कर/11-91 दिनांक 12.12.2012 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(100)वित्त/कर/10-81 दिनांक 6.10.2010 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;
- 25- अधिसूचना संख्या: एफ.2(5)वित्त/कर/2009-92 दिनांक 13.12.2012 जिसके द्वारा राजस्थान भण्डार व्यवस्था निगम के पक्ष में सम्पादित इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ लीज डीड पर देय स्टाम्प ड्यूटी पर छूट प्रदान की गई है;
- 26- अधिसूचना संख्या: एफ.2(42)वित्त/कर/2009-93 दिनांक 13.12.2012 जिसके द्वारा राज्य विद्युत कम्पनियों को आवंटित या उनके द्वारा क्रय की गई भूमि के संबंध में निष्पादित दस्तावेज पर प्रभार्य स्टाम्प ड्यूटी पर छूट प्रदान की गई है;
- 27- अधिसूचना संख्या: एफ.12(29)वित्त/कर/2012-94 दिनांक 14.12.2012 जिसके द्वारा राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में मोटर वाहनों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति द्वारा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को किराया आधार पर प्रदान करने हेतु स्थानीय क्षेत्रों में बसें लाने पर कर से छूट प्रदान की गई है;
- 28- अधिसूचना संख्या: एफ.2(19)वित्त/कर/2007-96 दिनांक 31.12.2012 जिसके द्वारा इंटरमीडियेटरी इंस्ट्रूमेंट्स पर देय स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है;
- 29- अधिसूचना संख्या: एफ.2(98)वित्त/कर/10.पार्ट-97 दिनांक 3.1.2013 जिसके द्वारा राजस्थान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड द्वारा जारी शेयर प्रभाव पत्रों पर प्रभार्य स्टाम्प ड्यूटी की छूट प्रदान की गई है;

- 30- अधिसूचना संख्या: एफ.2(49)वित्त/कर/12-98 दिनांक 3.1.2013 जिसके द्वारा राजस्थान वित्त निगम द्वारा जारी नॉन एसएलआर बॉण्ड पर प्रभार्य स्टाम्प ड्यूटी पर छूट प्रदान की गई है;
- 31- अधिसूचना संख्या: एफ.12(81)वित्त/कर/2012-99 दिनांक 10.1.2013 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 में संशोधन किया गया है;
- 32- अधिसूचना संख्या: एफ.2(11)वित्त/कर/2011-100 दिनांक 17.1.2013 जिसके द्वारा नगरपालिका के अधिकारी को पंजीकरण हेतु पंजीयन अधिकारी के समक्ष उपस्थिति से छूट प्रदान की गई है; एवं
- 33- अधिसूचना संख्या: एफ.12(30)वित्त/कर/2012-101 दिनांक 21.1.2013 जिसके द्वारा मंगलम सीमेंट लिमिटेड द्वारा सीमेंट प्लान्ट की स्थापना हेतु कतिपय माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर प्रवेश कर में छूट प्रदान की गई है।

(2) उद्योग विभाग

- 1- अधिसूचना संख्या:आरएफसी/एफपीए-23(8) दिनांक 8.12.2011, जिसके द्वारा राजस्थान वित्त निगम स्टाफ रेग्युलेशन, 1958 के रेग्युलेशन्स में कतिपय संशोधन किये गये हैं;
- 2- अधिसूचना संख्या:आरएफसी/एफपीए-23(8) दिनांक 8.6.2012, जिसके द्वारा एक शुद्धि पत्र जारी किया गया है; एवं
- 3- अधिसूचना संख्या:एफ.5(2)इण्ड/1/2012 दिनांक 5.10.2012, जिसके द्वारा डायरेक्ट सेलिंग (मल्टी लेवल मार्केटिंग) संबंधी दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं।

II- श्री हेमाराम चौधरी, राजस्व मंत्री, राजस्व एवं उपनिवेशन विभाग की निम्नांकित अधिसूचनार्यें सदन की मेज पर रखेंगे:-

(अ) राजस्व विभाग

- 1- अधिसूचना संख्या : एफ.9(68)राज-6/10/पार्ट/29 दिनांक 4.10.2012 जिसके द्वारा राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (अलॉटमेंट ऑफ लैण्ड फॉर सैटिंग अप एग्री प्रोसेसिंग एण्ड एग्री-बिजनेस एन्टरप्राइजेज) नियम, 2011 में संशोधन किया गया है;
- 2- अधिसूचना संख्या : एफ.9(15)राज-6/05-पार्ट/30 दिनांक 18.10.2012 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम, 1970 में संशोधन किया गया है;
- 3- अधिसूचना संख्या : एफ.9(126)राज/6/2012/32 दिनांक 23.10.2012 जिसके द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान, 2012 के कार्य हेतु नियुक्त समस्त नायब तहसीलदारों को तहसीलदार पर अधिरोपित समस्त कर्तव्यों एवं शक्तियों का प्रयोग अपने क्षेत्राधिकार में करने हेतु अधिकृत किया गया है;

- 4- अधिसूचना संख्या : एफ.9(126)राज/6/2012/33 दिनांक 23.10.2012 जिसके द्वारा भूमि बंटवारे के लिये तहसीलदार पर अधिरोपित कर्तव्यों व शक्तियों को 90-ए के तहत नियुक्त अधिकारियों को प्रशासन शहरों के संग, 2012 अभियान की अवधि हेतु अधिकृत किया गया है;
- 5- अधिसूचना संख्या : एफ.9(80)राज-6/12/पार्ट/34 दिनांक 29.10.2012 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (कृषि से अकृषिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम, 2007 में संशोधन किये गये हैं;
- 6- अधिसूचना संख्या : एफ.9(112)राज-6/2012/35 दिनांक 29.11.2012 जिसके द्वारा प्रशासन गाँवों के संग अभियान, 2013 के संबंध में सीमाज्ञान के मामलों को निर्णित करने की ग्राम पंचायत की शक्तियाँ तहसीलदार सेवा के अधिकारियों को दी गई हैं;
- 7- अधिसूचना संख्या : एफ.9(112)राज-6/2012/36 दिनांक 29.11.2012 जिसके द्वारा प्रशासन गाँवों के संग अभियान, 2013 के नामान्तरणकरण के मामलों को निर्णित करने की ग्राम पंचायतों की शक्तियाँ तहसीलदार सेवा के अधिकारियों को दी गई हैं;
- 8- अधिसूचना संख्या : एफ.9(112)राज-6/2012/37 दिनांक 29.11.2012 जिसके द्वारा प्रशासन गाँवों के संग अभियान, 2013 में राजस्थान भू-राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम, 1970 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी पर अधिरोपित कर्तव्यों एवं शक्तियाँ अभियान में नियुक्त समस्त आईएएस/आरएएस को दी गई हैं;
- 9- अधिसूचना संख्या : एफ.9(112)राज-6/2012/38 दिनांक 29.11.2012 जिसके द्वारा प्रशासन गाँवों के संग अभियान, 2013 में समस्त जिलों हेतु भूमि आवंटन प्रयोजन के लिये भूमि आवंटन सलाहकार समिति की बैठक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आयोजित किये जाने हेतु आदेशित किया गया है;
- 10- अधिसूचना संख्या : एफ.9(112)राज-6/2012/39 दिनांक 29.11.2012 जिसके द्वारा प्रशासन गाँवों के संग अभियान, 2013 में राजस्थान भू-राजस्व (सिंचाई प्रयोजनार्थ कुआ खोदने एवं पंपिंग सैट लगाने के लिये भूमि आवंटन) नियम, 1979 के अन्तर्गत जिला कलक्टर पर अधिरोपित कर्तव्यों एवं शक्तियाँ राज्य के समस्त जिलों में कार्यरत समस्त आईएएस/आरएएस जिनको अभियान में नियुक्त किया गया है, को दी गई है;
- 11- अधिसूचना संख्या : एफ.9(112)राज-6/2012/40 दिनांक 29.11.2012 जिसके द्वारा प्रशासन गाँवों के संग अभियान, 2013 में राजस्थान भू-राजस्व (स्कूलों, कॉलेजों, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं एवं अन्य लोकोपयोगी भवन निर्माण हेतु अनाधिवासित राजकीय कृषि भूमि का आवंटन) नियम, 1963 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी पर अधिरोपित कर्तव्यों एवं शक्तियाँ राज्य के समस्त जिलों में कार्यरत समस्त आईएएस/आरएएस जिनको अभियान में नियुक्त किया गया है, को दी गई है;

- 12- अधिसूचना संख्या : एफ.9(112)राज-6/2012/41 दिनांक 29.11.2012 जिसके द्वारा प्रशासन गाँवों के संग अभियान, 2013 में राजस्थान भू-राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम, 1970 के नियम-7 में भूमि आवंटन के लिये आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने के लिये जारी उद्घोषणा के लिये निर्धारित 15 दिवस की कार्यवाही को कम कर 7 दिन किया गया है;
- 13- अधिसूचना संख्या : एफ.9(112)राज/6/2012/42 दिनांक 29.11.2012 जिसके द्वारा प्रशासन गाँवों के संग अभियान, 2013 में रास्ते तथा अन्य निजी सुखाचार के तहसीलदार के अधिकार समस्त नायब तहसीलदार जिनको अभियान में नियुक्त किया गया है, को शक्तियाँ प्रदान की गई हैं;
- 14- अधिसूचना संख्या : एफ.9(112)राज-6/2012/43 दिनांक 29.11.2012 जिसके द्वारा राजस्थान तहसीलदार सेवा के अधिकारी जिन्हें कलक्टर द्वारा प्रशासन गाँवों के संग अभियान, 2013 के लिये नियुक्त किया गया है, के द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू-आवंटन) नियम, 1970 के अन्तर्गत तहसीलदार पर अधिरोपित कर्तव्यों एवं शक्तियों को उनके क्षेत्राधिकार में प्रयोग करने हेतु प्रदान की गई हैं;
- 15- अधिसूचना संख्या : एफ.9(112)राज-6/2012/44 दिनांक 29.11.2012 जिसके द्वारा राजस्थान तहसीलदार सेवा के अधिकारी, जिन्हें कलक्टर द्वारा प्रशासन गाँवों के संग अभियान, 2013 के लिये नियुक्त किया गया है, के द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा-53 की उपधारा (2) (1) एवं उसके अन्तर्गत बने नियमों के तहत भूमि के बंटवारे की तहसीलदार पर अधिरोपित कर्तव्यों एवं शक्तियों को उनके क्षेत्राधिकार में प्रयोग करने हेतु प्रदान की गई हैं;
- 16- अधिसूचना संख्या : एफ.4(1)राज/6/06/पार्ट/45 दिनांक 7.12.2012 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के अन्तर्गत तहसील-चौमू, जिला-जयपुर को अधिसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है;
- 17- अधिसूचना संख्या : एफ.4(1)राज/6/06/पार्ट/46 दिनांक 8.12.2012 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के अन्तर्गत 20 जिलों को अधिसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है;
- 18- अधिसूचना संख्या : एफ.4(1)राज/6/06/पार्ट/47 दिनांक 12.12.2012 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के अन्तर्गत तहसील-गिर्वा, जिला-उदयपुर को अधिसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है;
- 19- अधिसूचना संख्या : एफ.5(2)राज-6/12/48 दिनांक 12.12.2012 जिसके द्वारा राजस्थान कृषि ऋणता अवमुक्ति अधिनियम, 1957 के नियम-5 के उप नियम-(1) के अनुसरण में प्रतापगढ़ न्यायालय के क्र.सं.-11 पर अंकित सिविल जज-क,ख के स्थान पर सिविल न्यायालय प्रतिस्थापित किया गया है;

- 20- अधिसूचना संख्या : एफ.9(126)राज/6/2012/49 दिनांक 21.12.2012 जिसके द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान, 2012 में आयोजित शिविरों में धारा-90-ए के अन्तर्गत नियुक्त प्राधिकृत अधिकारियों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा-91 के अन्तर्गत तहसीलदार पर अधिरोपित कर्तव्यों एवं शक्तियों का उनके क्षेत्राधिकार में प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत किया गया है;
- 21- अधिसूचना संख्या : एफ.4(1)राज-6/06/पार्ट/50 दिनांक 28.12.2012 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के अन्तर्गत कतिपय तहसीलों को ऑनलाईन कम्प्यूटराईज्ड करने हेतु अधिसूचित किया गया है;
- 22- अधिसूचना संख्या : एफ.4(1)राज-6/06/पार्ट/1 दिनांक 1.1.2013 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के अन्तर्गत तहसील-बूंदी, बारां को कम्प्यूटराईज्ड ऑनलाईन करने हेतु अधिसूचित किया गया है;
- 23- अधिसूचना संख्या : एफ.9(112)राज-6/2012/2 दिनांक 11.1.2013 जिसके द्वारा प्रशासन गाँवों के संग अभियान, 2013 में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा-92 के अन्तर्गत अभियान में नियुक्त समस्त आईएएस/आरएएस को, उनके क्षेत्राधिकार में प्रयोग करने हेतु शक्तियाँ प्रदान की गई हैं;
- 24- अधिसूचना संख्या : एफ.9(112)राज-6/2012/3 दिनांक 11.1.2013 जिसके द्वारा प्रशासन गाँवों के संग अभियान, 2013 में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा-136 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी की शक्तियाँ, उनके क्षेत्राधिकार में प्रयोग करने हेतु, अभियान में नियुक्त समस्त आईएएस/आरएएस को दी गई हैं;
- 25- अधिसूचना संख्या : एफ.4(1)राज-6/06/पार्ट/4 दिनांक 16.1.2013 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के अन्तर्गत तहसील-नागौर (ग्रामदानी गाँव सुखवासी को छोड़कर) संगरिया, अलवर को कम्प्यूटराईज्ड ऑनलाईन करने हेतु अधिसूचित किया गया है;
- 26- अधिसूचना संख्या : एफ.9(60)राज-6/12/5 दिनांक 22.1.2013 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.6(12)राज-6/99/पार्ट/23 दिनांक 13.10.2005 में संशोधन किया गया है; एवं
- 27- अधिसूचना संख्या : एफ.4(1)राज-6/06/पार्ट/6 दिनांक 31.1.2013 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के अन्तर्गत तहसील-झालरापाटन को कम्प्यूटराईज्ड ऑनलाईन करने हेतु अधिसूचित किया गया है।

(ब) उपनिवेशन विभाग

- 1- अधिसूचना संख्या:एफ.4(2)कोल/2008 दिनांक 6.11.2012, जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 में संशोधन किया गया है;
- 2- अधिसूचना संख्या:एफ.19(12)कोल/05 दिनांक 19.11.2012, जिसके द्वारा उपनिवेशन क्षेत्र में स्थित राजकीय भूमि को स्थानीय निकायों को आवंटन/हस्तान्तरण करने संबंधी निर्देश प्रदान किये गये हैं;
- 3- अधिसूचना संख्या:एफ.4(1)कोल/2010 दिनांक 30.11.2012, जिसके द्वारा कलक्टर द्वारा अधिरोपित कर्तव्य एवं शक्तियों का प्रयोग, प्रशासन गाँवों के संग अभियान, 2013 में राजस्थान के जिलों में कार्यरत आईएएस/आरएएस सेवा के शिविर प्रभारी अधिकारियों को, उनके निर्धारित कार्य क्षेत्र में किये जाने हेतु अधिकृत किया गया है;
- 4- अधिसूचना संख्या:एफ.4(1)कोल/2010 दिनांक 30.11.2012, जिसके द्वारा तहसीलों में पदस्थापित नायब तहसीलदार को प्रशासन गाँवों के संग अभियान, 2013 की अवधि के दौरान उपनिवेशन तहसीलदार की समस्त शक्तियाँ प्रदान की गई हैं; एवं
- 5- अधिसूचना संख्या:एफ.4(1)कोल/2010 दिनांक 30.11.2012, जिसके द्वारा प्रशासन गाँवों के संग अभियान, 2013 हेतु राजस्थान के जिलों में कार्यरत आईएएस/आरएएस सेवा के शिविर प्रभारी अधिकारियों को, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, गंग एवं भाखड़ा नहर परियोजना क्षेत्र में उद्भूत होने वाले मामलों के संबंध में कलक्टर एवं भू-अभिलेख अधिकारी की शक्तियों का, उनके निर्धारित कार्य क्षेत्र में प्रयोग किये जाने हेतु अधिकृत किया गया है।

(ख) वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे

- I- श्री शांती कुमार धारीवाल, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री, निम्नांकित प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे :-
1. जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 की धारा-64 के अन्तर्गत जयपुर विकास प्राधिकरण के वर्ष 2011-2012 के लेखा विवरण;
 2. राजस्थान आवासन मण्डल अधिनियम, 1970 की धारा-47 के अन्तर्गत राजस्थान आवासन मण्डल के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन एवं अंकेक्षित लेखे;
 3. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-(ए)(3) के अंतर्गत हाईटेक प्रिंसीजन ग्लास लिमिटेड, जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011-2012 ;
 4. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-(ए)(3) के अंतर्गत राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011-2012; एवं
 5. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-(ए)(3) के अंतर्गत राजस्थान स्टेट बेवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड का 7वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011-2012.

II - श्री हरजीराम बुरडक, कृषि मंत्री निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे:-

- 1- दी वेयर हाऊसिंग कॉरपोरेशन एक्ट, 1962 की धारा 31(2) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम का 54 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011-2012 ; एवं
- 2- कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-(ए)(3) के अंतर्गत राजस्थान स्टेट सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड का 34वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011-2012.

III - डॉ. जितेन्द्र सिंह, ऊर्जा मंत्री ,कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-(ए) के अंतर्गत जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. का दसवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण वर्ष 2009-2010 सदन की मेज पर रखेंगे ।

IV- श्री परसादी लाल मीणा, सहकारिता मंत्री, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-619-ए के अन्तर्गत राजस्थान ट्यूरिज्म डवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2009-2010 सदन की मेज पर रखेंगी।

V- श्री वीरेन्द्र बेनीवाल, परिवहन राज्यमंत्री, राजस्थान लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम की धारा-12(5) के अन्तर्गत लोकायुक्त की विशेष रिपोर्ट पर राज्य सरकार की ओर से एकसप्लेनेटरी मेमोरेण्डम सदन की मेज पर रखेंगे।

VI- श्री बाबूलाल नागर, खादी एवं ग्रामोद्योग राज्य मंत्री, वित्त अधिनियम, 1951 की धारा-37(7) के अन्तर्गत राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2001-2002 से 2004-2005, 2005-2006 से 2006-2007 तथा 2007-2008 से 2009-2010 सदन की मेज पर रखेंगे।

3. कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन एवं उस पर विचार

डॉ. रघु शर्मा, सरकारी मुख्य सचेतक कार्य सलाहकार समिति के 28वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे ।

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि -

"यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 28वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है ।"

**4. प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन
हेतु नियत समय में वृद्धि
राजस्थान जल संसाधन विनियामक विधेयक, 2012**

श्री हेमाराम चौधरी, सभापति, प्रवर समिति प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक पर गठित प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय को आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह तक बढ़ा दिया जाय :-

राजस्थान जल संसाधन
विनियामक विधेयक, 2012
(2012 का विधेयक संख्या-20)

"राजस्थान राज्य में जल संसाधनों को विनियमित करने, जल संसाधनों के उचित, साम्यापूर्ण और वहनीय प्रबन्ध, आबंटन और उपयोग को सुकर बनाने और सुनिश्चित करने, पीने के, कृषिक, औद्योगिक और अन्य प्रयोजनों के लिये जल के उपयोग हेतु दरें नियत करने के लिये राजस्थान जल संसाधन विनियामक प्राधिकरण की स्थापना करने या उससे संसक्त या आनुषंगिक मामलों के लिये उपबंध करने के लिए विधेयक।"

5. विधायी कार्य

पुरःस्थापित किये जाने वाले विधेयक

(1) राजस्थान वन (संशोधन) विधेयक, 2012

राजस्थान वन (संशोधन)
विधेयक, 2012
(2012 का विधेयक संख्या-39)

- (I) बीना काक, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगी :-
"राजस्थान वन अधिनियम, 1953 को और संशोधित करने के लिये विधेयक।"
- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगी।

(2) राजस्थान निजी विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2013

राजस्थान निजी विश्वविद्यालयों की
विधियां (संशोधन) विधेयक, 2013
(2013 का विधेयक संख्या-1)

- (I) डॉ. दयाराम परमार, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-
"निजी विश्वविद्यालयों की विधियों को और संशोधित करने के लिये विधेयक ।"
- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।
- (III) प्रभारी मंत्री प्रक्रिया के नियम-63(1) के अन्तर्गत राजस्थान निजी विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) अध्यादेश, 2012 (2012 का अध्यादेश संख्यांक-12) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखेंगे ।

6. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद

- (1) श्री गोविन्द सिंह डोटासरा(वि.सं.-54), सदस्य विधान सभा प्रस्ताव करेंगे कि राज्यपाल महोदय को निम्नांकित रूप में धन्यवाद (समावेदन) प्रस्तुत किया जावे :-
"इस सत्र में एकत्रित हम, राजस्थान विधान सभा के सदस्यगण, राज्यपाल द्वारा इस सदन में दिये गये अभिभाषण के प्रति उनके आभारी हैं ।"
- (2) श्री ओम प्रकाश जोशी (वि.सं.-23), सदस्य विधान सभा प्रस्ताव का अनुमोदन करेंगे।

(संशोधन यदि कोई होंगे, तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

प्रकाश चन्द्र पिछोलिया
विशेषाधिकारी

विधान सभा भवन,
जयपुर
दिनांक 21 फरवरी, 2013